

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ दण्डक विविध याचिका संख्या : 3418 / 2017

राकेश मकवाना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

26.10.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अनिल उपमन ।

लोक अभियोजक श्री वी एस गोदारा ।

सुना गया ।

अयाचीगण को नोटिस जारी किया जाना उचित है ।

योग्य लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, अतः राजस्थान राज्य की तामील पूर्ण मानी जाती है ।

योग्य अधिवक्ता याची एक सप्ताह में शेष अयाची/ अयाचीगण के क्रम में विधिनुसार नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें ।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावें । आगामी तारीख पेशी तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 237 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 7.5.2015 की क्रियान्विति स्थगित की जाती है ।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति